

वेतन/अवकाश वेतन पर्ची
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश
नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचेहरी रोड, प्रयागराज

संख्या ०५२

/वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी०-D-129-

दिनांक: 16/6/2021

श्री दीप कान्त मणि,
उपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
मुजफ्फरनगर

को सूचित किया जाता है कि वह आदेश संख्या-1577/Adm/11-8001/21

तारीख 28-05-21 राजपत्र का पृष्ठ के अधीन दी गई तारीखों से निम्नलिखित मासिक दरों पर वेतन/अवकाश वेतन और भत्ते लेने का हकदार है। पूर्व आहरित धन के समायोजन एवं कटौतियों से प्रतिबंधित

ब्योरे	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	किस तारीख से	5	6
मूल वेतन/बैंड वेतन	01-06-21	2	3	4		
वैयक्तिक वेतन	52780-	कार्यभर				
महंगाई वेतन						
विशेष वेतन						
अंतरिम सहायकता -30%	15834-					
अवकाश वेतन/बैंड वेतन						
महंगाई भत्ता	86559-	होने				
मकान किराया भत्ता		पर				
अतिथि सत्कार भत्ता	3100-					
चिकित्सा भत्ता	1000-					
आवासीय कार्यालय भत्ता	300-					
प्रशिक्षण भत्ता						
नगर प्रतिकर भत्ता						
जोड़	189573-	शून्य				

वेतनमान-51550-1230-58930 है प्रत्येक वर्ष की प्रथम अगस्त तारीख को वेतन-वृद्धि देय होती है और अन्यथा कोई आदेश न होने पर आदि कतम-63070-50 की स्थिति पर पहुंचने तक वेतन-वृद्धि ली जा सकती है।

- टिप्पणी- (1) इस बात का विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त दरों के अनुसार बनाये गये प्रथम वेतन बिल के साथ यह पर्ची लगा दी जाय और प्रत्येक वेतन बिल के ऊपरी भाग पर हकदारी पंजी पृष्ठ संख्या के साथ वित्त एवं लेखाधिकारी/प्रचारो-उपनिदेशक को भेजा जाये।
- (2) यदि अन्यथा न कहा गया हो तो अन्तिम वेतन-पत्र में उल्लिखित निधि अभिदानों की कटौतियों और सर्वस्वरूप कटौतियों की राशियों की वसूलियां कर लेनी चाहिये।

पृष्ठांकन सं० : /वे०प्र०प०/वित्त/न्यायिक/ई०आर०पी०-D-129- तद् दिनांक :

कोषागार - मुजफ्फरनगर
विशेष सचिव, ईरला चैक अनुभाग, 30प्र० शासन, लखनऊ।
विशेष सचिव (वित्त), विधान सभा/विधान परिषद्/राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ प्रति प्रेषित।
जब कभी यह इस सरकारी अधिकारी के नाम कोई वेतन प्रमाण-पत्र जारी करें उसमें ऊपर दिया गया वेतन का ब्योरा देना न भूलें।

अपर निदेशक/उप निदेशक


प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर।

आकस्मिक अवकाश प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीप कान्त मणि, तत्कालीन अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या-2, मुजफ्फरनगर द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार उन्होंने कैलेण्डर वर्ष 2021 में जनपद न्यायालय सन्त कबीर नगर में नियुक्ति के दौरान कुल छः (06) आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है तथा कार्यालय अभिलेख के अनुसार इस जजशिप में दिनांक 01.06.2021 तक वह दिनांक 29.04.2021, 30.04.2021 व 04.05.2021 को आकस्मिक अवकाश पर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त उनके द्वारा दिनांक 11.05.2021 व 12.05.2021 के आकस्मिक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र दिनांकित 27.05.2021 प्रस्तुत किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को संदर्भित किया गया है तथा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय से अभी तक कोई आदेश/दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं।

दिनांक – जून 11, 2021


11/06/2021
प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
जजशिप, मुजफ्फरनगर।
Chief Administrative Officer
Civil Court, Muzaffarnagar

प्रेषक,

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

सेवा में,

माननीय,
अपर प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय सं02,
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक: 626 /अधि0/एल0पी0सी0/2021-22

दिनांक: 08-07-2021

विषय:- अंतिम वेतन पर्ची के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 05.07.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्थानान्तरण आदेश दिनांकित 28.05.2021 के अनुपालन में दिनांक 01.6.2021 को पूर्वान्ह में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी. कोर्ट सं02, मुजफ्फरनगर का कार्यभार छोड़कर उसी दिन पूर्वान्ह में प्रतिनियुक्ति पर अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय सं02, मुजफ्फरनगर का पदभार ग्रहण करने के फलस्वरूप वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के नियम 140A(a) के तहत अंतिम वेतन पर्ची निर्गत न करने अथवा कारणों से माननीय उच्च न्यायालय एवं आपको अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि कोषागार मुजफ्फरनगर के अभिलेखों के अनुसार आपके द्वारा माह अप्रैल, 2021 तक वेतन आहरित किया गया है। आपके द्वारा माह मई, 2021 का वेतन आहरित नहीं किया गया है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के 102(2) एवं परिशिष्ट "V" के अनुसार एक जनपद से दूसरे जनपद में स्थानान्तरण की स्थिति में कोषागार द्वारा वेतन पर्ची अन्तिम वेतन आहरण के परिप्रेक्ष्य में जारी की जायेगी।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 के पैरा 140(2) के अर्न्तगत एक अधिष्ठान से दूसरे अधिष्ठान में स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति (deputation) की स्थिति में कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अन्तिम वेतन पर्ची जारी करने की व्यवस्था है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आपका स्थानान्तरण एक जनपद से दूसरे जनपद में नहीं किया गया है। एक अधिष्ठान से दूसरे अधिष्ठान में प्रतिनियुक्ति (deputation) के कारण अपने कार्यालयाध्यक्ष से अन्तिम वेतन पर्ची प्राप्त करना समीचीन होगा।

कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए वस्तुस्थिति से अवगत होने की कृपा करें।

भवदीय,

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक एवं दिनांक :- तदैव।

प्रतिलिपि : माननीय जनपद न्यायाधीश, जनपद मुजफ्फरनगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मुजफ्फरनगर।